

17-12-18

Woh
(अधिकारी का)

माननीय
श्री. श्री.

9/12/18
OR

बत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपर। TDR चक्र से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी
सहमति देते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी
स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिडी करने का
निवेदन किया। तद्विषयक चक्र से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

6
श्री


21-12-18

उपखण्ड अधिकारी,

पूजा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

पर उन्मयपक्ष के अधिकाधिकार की सहमति देने से दावा
 वादी अन्तिम रूप से डिफ्री किया जाना अचित है अतः
 तहसीलदार चुरु से प्राप्त विवाजन प्रस्ताव पर वकील
 उन्मयपक्ष की सहमति के आद्या पर दावा वादी स्वीकार
 किया जाकर अन्तिम रूप से डिफ्री किया जाता है एवं
 वादगत कृषि भूमि खण्ड नं० 1076 तादडी 13 बीघा 10
 विश्वा रोटी मीजा चुरु का खाता विवाजन किया जाकर
 वादी व प्रतिवादीगण के खाते व लगान अलग-
 अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है
 डिफ्री पचा प्रथक से जारी होकर संलग्न मिसल
 रैती निणयि खुले न्यायालय में सुनाया गया।
 खर्चा पक्षवाला अपना-अपना वहन करे। तहसीलदार चुरु
 को डिफ्री के अनुसार रजस्व अभिलेख में अमलदाख्त
 करने का आदेश दिया जाता है। मिसल फेराल
 शुमा होकर नम्बर से कम हो। वाउ तहसील तहरीब
 दाखिल दफ्तर है।


 उपखण्ड अधिकारी,
 चुरु